रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01092021-229346
CG-DL-E-01092021-229346

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 359] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 1, 2021/भाद्र 10, 1943
No. 359] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 1, 2021/BHADRA 10, 1943

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2021

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. 54-ईएल(1)/2/2021.—चार्टर्ड अकाउंटेट्स विनियम, 1988 के विनियम 134 के उपविनियम (10) के साथ पठित चार्टर्ड अकाउंटेट्स (परिषद् का निर्वाचन) नियम, 2006 के नियम 4 के उपनियम (2) के अनुसरण में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान, अपनी परिषद् और प्रादेशिक परिषदों के सदस्यों के आगामी निर्वाचनों के संबंध में निम्नलिखित महत्वपूर्ण तारीखों को अधिसूचित करता है :--

क्रम सं.	निर्वाचन के प्रक्रम	नियत तारीखें
1.	नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तारीख और समय	22.09.2021-सायं 6.00 बजे
2.	(i) नामांकनों की संवीक्षा की तारीख(खें) और स्थान ; और (ii) नामांकनों की संवीक्षा के लिए अंतिम तारीख	29.09.2021 से 06.10.2021 (नई दिल्ली)
3.	नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख और समय	18.10.2021-सायं 6.00 बजे
4.	निम्नलिखित स्थानों पर मतदान की तारीख या तारीखें - (i) आगरा, अहमदाबाद, बंगलुरु, भयंदर, भीलवाड़ा, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चिंचवाड़, चेन्नई, कोयंबटूर, दिल्ली/	3 और 4.12.2021

	नई दिल्ली, डोंबिवली, फरीदाबाद, गाजियाबाद (इंदिरापुरम, साहिबाबाद और वैशाली सहित), गुरुग्राम, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, जोधपुर, कल्याण, कानपुर, कोच्चि, कोलकाता, कोटा, लखनऊ, लुधियाना, मीरा रोड, मुंबई, नागपुर, नासिक, नवी मुंबई, नोएडा, पटना, पुणे, रायपुर, राजकोट, रांची, सूरत, ठाणे, उदयपुर, वडोदरा, विजयवाड़ा और विशाखापटनम (ii) अन्य नगर/शहर	 4.12.2021
5.	चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (परिषद् का निर्वाचन) नियम, 2006 के नियम 28 के अधीन डाक द्वारा मतदान करने की अनुमति हेतु आवेदन प्राप्त करने के लिए अंतिम तारीख	01.10.2021
6.	मतदाताओं से डाक द्वारा मतपत्र वापस प्राप्त करने की अंतिम तारीख एवं समय	10.12.2021-सायं 5.00 बजे
7.	मतगणना की तारीखें	16.12.2021 से 31.12.2021
8.	परिणामों की घोषणा की तारीख	अंतिम रूप से 03.01.2022* तक

* किसी निर्वाचन विवाद संबंधी आवेदन को फाइल करने के लिए परिसीमा अवधि का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए वह तारीख गणना में ली जाएगी, जिसको वस्तुत: निर्वाचन के परिणामों की घोषणा को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है।

सीए. डॉ. जय कुमार बत्रा, रिटर्निंग अधिकारी और कार्यकारी सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./223/2021-22]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st September, 2021

(Chartered Accountants)

No. 54-EL(1)/2/2021.—In pursuance of sub-rule (2) of rule 4 of the Chartered Accountants (Election to the Council) Rules, 2006 read with sub-regulation (10) of regulation 134 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, the Institute of Chartered Accountants of India is pleased to notify the following important dates relating to the next elections of members to its Council and Regional Councils:-

Sl. No.	Stages of Election	Dates Fixed
1.	The last date and time for receipt of nominations	22.9.2021 – 6.00 P.M.
2.	(i) Date(s) and place of scrutiny of Nominations; and (ii) Last date for scrutiny of nominations	29.9.2021 to 6.10.2021 (New Delhi)
3.	The last date and time for withdrawal of nominations	18.10.2021 – 6.00 P.M.
4.	The date or dates of polling for - (i) Agra, Ahmedabad, Bengaluru, Bhayandar, Bhilwara, Bhopal, Bhubaneswar, Chandigarh, Chinchwad, Chennai, Coimbatore, Delhi/New Delhi, Dombivali, Faridabad,	 3 & 4.12.2021

	Ghaziabad (including Indirapuram, Sahibabad and Vaishali), Gurugram, Guwahati, Hyderabad, Indore, Jaipur, Jodhpur, Kalyan, Kanpur, Kochi, Kolkata, Kota, Lucknow, Ludhiana, Mira Road, Mumbai, Nagpur, Nashik, Navi Mumbai, Noida, Patna, Pune, Raipur, Rajkot, Ranchi, Surat, Thane, Udaipur, Vadodara, Vijayawada and Visakhapatnam (ii) Other cities/towns	4.12.2021
5.	The last date for receipt of applications for permission to vote by post under rule 28 of the Chartered Accountants (Election to the Council) Rules, 2006	1.10.2021
6.	The last date and time for receipt by post of ballot papers back from voters	10.12.2021 – 5.00 P.M.
7.	Dates of Counting of Votes	16.12.2021 to 31.12.2021
8.	The date of declaration of results	Latest by 3.1.2022*

* The date to be reckoned for the purpose of determining the limitation period for filing election dispute application shall be the date on which the declaration of results is eventually notified in the Gazette of India.

CA. Dr. JAI KUMAR BATRA, Returning Officer and Acting Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./223/2021-22]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2021

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. 54-ईएल(1)/3/2021.—चार्टर्ड अकाउंटेट्स (परिषद् का निर्वाचन) नियम, 2006 की अनुसूची 4 के साथ पठित उसके नियम 9 के उपनियम (1) के अनुसरण में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान यह अधिसूचित करता है कि ऐसे अभ्यर्थियों के, जो दिसंबर, 2021 में आयोजित होने वाली उसकी पच्चीसवीं परिषद् के निर्वाचनों में खड़े होने के इच्छुक हैं, नामांकन पत्रों को उक्त नियमों के नियम 9 में विनिर्दिष्ट रीति (जिसके ब्यौरे नामांकन प्ररूप में भी मुद्रित पाए जाएंगे) में सीए. (डा.) जय कुमार बत्रा, रिटर्निंग अधिकारी और परिषद् के कार्यकारी सचिव (नाम से) को संबोधित करते हुए, इस प्रकार आईसीएआई भवन, इंद्रप्रस्थ मार्ग, नई दिल्ली - 110002 को अग्रेषित किया जा सकेगा जिससे कि वो 22.09.2021 को सायं 6.00 बजे तक उनके पास पहुंच जाएं ।

नामांकन पत्र, संस्थान की परिषद् द्वारा उक्त नियमों के उपनियम (3) के अधीन अनुमोदित प्ररूप में और नियम 9 में विनिर्दिष्ट रीति में होंगे । नामांकन पत्र भरते समय, अभ्यर्थी चार्टर्ड अकाउंटेट्स (परिषद् का निर्वाचन) नियम, 2006 के उपबंधों, विशेषकर उक्त नियमों के नियम 9, 10, 11 और 12 में अंतर्विष्ट उपबंधों को ध्यान में रखेंगे । नामांकन प्ररूपों को तारीख 1 सितंबर, 2021 से संस्थान के आईसीएआई भवन, इंद्रप्रस्थ मार्ग, नई दिल्ली - 110002 में स्थित कार्यालय और साथ ही मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और कानपुर स्थित उसके प्रादेशिक कार्यालयों और अहमदाबाद, बंगलूरू, चंडीगढ़, एर्नाकुलम (कोच्चि), हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, नागपुर, पुणे, सूरत, ठाणे, और वदोदरा स्थित बड़ी शाखाओं से प्राप्त किया जा सकता है । तथापि, रिटर्निंग अधिकारी और परिषद् के कार्यकारी सचिव द्वारा नामांकन प्ररूप केवल नई दिल्ली स्थित उपरोक्त पते पर उक्त तारीख से स्वीकार किए जाएंगे ।

प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या को नीचे सारणी के स्तंभ (3) में, संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के सामने दर्शित किया गया है :

क्रम सं.	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का नाम	निर्वाचित किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या
(1)	(2)	(3)
1.	**पश्चिमी भारत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र** गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य तथा दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्यक्षेत्र	11
2.	**दक्षिणी भारत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र** आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलगांना राज्य तथा लक्षद्वीप और पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र	6
3.	**पूर्वी भारत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र** अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, सिक्किम, त्रिपुरा पश्चिमी बंगाल राज्य तथा अंदमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्यक्षेत्र	3
4.	**मध्य भारत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र** बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्य	6
5.	**उत्तरी भारत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र** हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र	6

उक्त नियमों के नियम 10 और 11 के अधीन संदाय करने के लिए अपेक्षित निर्वाचन शुल्क और प्रतिभूति निक्षेप का संदाय सचिव, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के पक्ष में एक मांगदेय ड्राफ्ट के माध्यम से किया जाएगा, जो नई दिल्ली में संदेय होगा ।

सीए. डॉ. जय कुमार बत्रा, रिटर्निंग अधिकारी और कार्यकारी सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./223/2021-22]

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st September, 2021

(Chartered Accountants)

No. 54-EL(1)/3/2021.—In pursuance of sub-rule (1) of rule 9 of the Chartered Accountants (Election to the Council) Rules, 2006 read with Schedule 4 thereto, the Institute of Chartered Accountants of India is pleased to notify that nominations of candidates who desire to stand for election to its Twenty Fifth Council, to be held in December, 2021 should be forwarded in the manner specified in rule 9 of the said Rules (details of which will be found printed in the Nomination Form also) addressed to CA. Dr. Jai Kumar Batra, Returning Officer and Acting Secretary to the Council (by name), at ICAI Bhawan, Indraprastha Marg, New Delhi – 110 002 so as to reach him not later than 6.00 P.M. on 22.9.2021**.**

The nomination shall be in the Form approved by the Council of the Institute under sub-rule (3) and in the manner specified in rule 9 of the said Rules. While filing the nominations, candidates should keep in mind the provisions of the Chartered Accountants (Election to the Council) Rules, 2006, particularly those contained in rules 9, 10, 11 and 12 of the said Rules. The nomination forms can be had from the Office of the Institute at ICAI Bhawan, Indraprastha Marg, New Delhi-110002 as well as from the Regional Offices at Mumbai, Chennai, Kolkata and Kanpur and major Branches at Ahmedabad, Bengaluru, Chandigarh, Ernakulam (Kochi), Hyderabad, Indore, Jaipur, Nagpur, Pune, Surat, Thane and Vadodara w.e.f. 1st September, 2021. The nomination forms will however be accepted by the Returning Officer and Acting Secretary to the Council at the above address at New Delhi only, effective from the said date.

The number of persons to be elected from each Regional Constituency is shown below in column (3) against the respective Constituency:

Sl. No.	**Name of the Regional Constituency**	**No. of persons to be Elected**
(1)	**(2)**	**(3)**
1.	**Western India Regional Constituency** The States of Goa, Gujarat and Maharashtra and the Union Territories of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu.	11
2.	**Southern India Regional Constituency** The States of Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Telangana and the Union Territories of Lakshadweep and Pondicherry.	6
3.	**Eastern India Regional Constituency** The States of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Orissa, Sikkim, Tripura, West Bengal and the Union Territory of Andaman & Nicobar Islands.	3
4.	**Central India Regional Constituency** The States of Bihar, Chattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttarakhand and Uttar Pradesh.	6
5.	**Northern India Regional Constituency** The States of Haryana, Himachal Pradesh and Punjab and the Union Territories of Chandigarh, Delhi, Jammu & Kashmir and Ladakh.	6

The fee of election and security deposit required to be paid under rules 10 and 11 of the said Rules must be by way of demand draft drawn in favour of the Secretary, the Institute of Chartered Accountants of India, payable at New Delhi.

CA. Dr. JAI KUMAR BATRA, Returning Officer and Acting Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./223/2021-22]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2021

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. 54-ईएल(1)/4/2021.—चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (परिषद् का निर्वाचन) नियम, 2006 के नियम 9 और उसकी अनुसूची 4 के साथ पठित चार्टर्ड अकाउंटेट्स विनियम, 1988 के विनियम 134 के उपविनियम (5) और (6) के अनुसरण में, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान यह अधिसूचित करता है कि ऐसे अभ्यर्थियों के, जो दिसंबर, 2021 में आयोजित होने वाली उसकी चौबीसवीं प्रादेशिक परिषदों के निर्वाचनों में खड़े होने के इच्छुक हैं, नामांकन पत्रों को उनमें विहित/विनिर्दिष्ट रीति (जिसके ब्यौरे नामांकन प्ररूप में भी मुद्रित पाए जाएंगे) में सीए. (डा.) जय कुमार बत्रा, रिटर्निंग अधिकारी और परिषद् के कार्यकारी सचिव (नाम से) को संबोधित करते हुए, इस प्रकार आईसीएआई भवन, इंद्रप्रस्थ मार्ग, नई दिल्ली - 110002 को अग्रेषित किया जा सकेगा जिससे कि वो 22.09.2021 को सायं 6.00 बजे तक उनके पास पहुंच जाएं।

नामांकन पत्र, परिषद् द्वारा अनुमोदित प्ररूप में होंगे । नामांकन पत्र फाइल करते समय, अभ्यर्थी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (परिषद् का निर्वाचन) नियम, 2006 के साथ पठित उक्त विनियमों के उपविनियम (6क), (7) और (7क) के उपबंधों, विशेषकर उक्त नियमों के नियम 9, 10, 11 और 12 में अंतर्विष्ट उपबंधों को ध्यान में रखेंगे। नामांकन प्ररूपों को तारीख 1 सितंबर, 2021 से संस्थान के आईसीएआई भवन, इंद्रप्रस्थ मार्ग, नई दिल्ली - 110002 में स्थित कार्यालय और साथ ही मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और कानपुर स्थित उसके प्रादेशिक कार्यालयों और अहमदाबाद, बंगलूरू, चंडीगढ़, एर्नाकुलम (कोच्चि), हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, नागपुर, पुणे, सूरत, ठाणे, और वदोदरा स्थित बड़ी शाखाओं से प्राप्त किया जा सकता है। तथापि, रिटर्निंग अधिकारी और परिषद् के कार्यकारी सचिव द्वारा नामांकन प्ररूप केवल नई दिल्ली स्थित उपरोक्त पते पर उक्त तारीख से स्वीकार किए जाएंगे।

प्रत्येक प्रादेशिक परिषद् हेतु निर्वाचित किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या को नीचे सारणी के स्तंभ (3) में, संबंधित प्रादेशिक परिषद् के सामने दर्शित किया गया है :

क्रम सं.	**प्रादेशिक परिषद् का नाम**	**निर्वाचित किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या**
(1)	**(2)**	**(3)**
1.	पश्चिमी भारत प्रादेशिक परिषद्	21
2.	दक्षिणी भारत प्रादेशिक परिषद्	13
3.	पूर्वी भारत प्रादेशिक परिषद्	5
4.	मध्य भारत प्रादेशिक परिषद्	12
5.	उत्तरी भारत प्रादेशिक परिषद्	13

उक्त नियमों के नियम 10 के साथ पठित उक्त विनियमों के विनियम 134 के अधीन संदाय करने के लिए अपेक्षित निर्वाचन शुल्क और प्रतिभूति निक्षेप का संदाय सचिव, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के पक्ष में एक मांगदेय ड्राफ्ट के माध्यम से किया जाएगा, जो नई दिल्ली में संदेय होगा।

प्रादेशिक परिषदों के निर्वाचनों के प्रयोजन के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेट्स विनियम, 1988 के अध्याय 7 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (परिषद् का निर्वाचन) नियम, 2006 में यथा अंतर्विष्ट निर्वाचनों से संबंधित उपबंध, आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।

सीए. डॉ. जय कुमार बत्रा, रिटर्निंग अधिकारी और कार्यकारी सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./223/2021-22]

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st September, 2021

(Chartered Accountants)

No. 54-EL(1)/4/2021.—In pursuance of sub-regulations (5) and (6) of regulation 134 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 read with rule 9 of the Chartered Accountants (Election to the Council) Rules, 2006 and Schedule 4 thereto, the Institute of Chartered Accountants of India is pleased to notify that nominations of candidates who desire to stand for election to its Twenty Fourth Regional Councils, to be held in December, 2021 should be forwarded in the manner prescribed/specified therein (details of which will be found printed in the Nomination Form also) addressed to CA. Dr. Jai Kumar Batra, Returning Officer and Acting Secretary to the Council (by name) at ICAI Bhawan, Indraprastha Marg, New Delhi – 110 002 so as to reach him not later than 6.00 P.M. on 22.9.2021**.**

The nomination shall be in the Form approved by the Council. While filing the nominations, candidates should keep in mind the provisions of sub-regulations (6A), (7) and (7A) of the said regulation read with the Chartered Accountants (Election to the Council) Rules, 2006, particularly those contained in rules 9, 10, 11 and 12 of the said Rules. The nomination forms can be had from the Office of the Institute at ICAI Bhawan, Indraprastha Marg, New Delhi as well as from the Regional Offices at Mumbai, Chennai, Kolkata and Kanpur and major Branches at Ahmedabad, Bengaluru, Chandigarh, Ernakulam (Kochi), Hyderabad, Indore, Jaipur, Nagpur, Pune, Surat, Thane and Vadodara w.e.f. 1st September, 2021. The nomination forms will however be accepted by the Returning Officer and Acting Secretary to the Council at the above address at New Delhi only, effective from the said date.

The number of persons to be elected to each Regional Council is shown below in column (3) against the respective Regional Council :

Sl. No.	**Name of the Regional Council**	**No. of persons to be Elected**
(1)	**(2)**	**(3)**
1.	Western India Regional Council	21
2.	Southern India Regional Council	13
3.	Eastern India Regional Council	5
4.	Central India Regional Council	12
5.	Northern India Regional Council	13

The fee of election and security deposit required to be paid under regulation 134 of the said Regulations read with rule 10 of the said Rules must be by way of a demand draft drawn in favour of the Secretary, the Institute of Chartered Accountants of India, payable at New Delhi.

For the purpose of elections to the Regional Councils, subject to the provisions contained in Chapter VII of the Chartered Accountants Regulations, 1988, the provisions relating to elections as contained in the Chartered Accountants (Election to the Council) Rules, 2006, shall 'mutatis mutandis' apply.

CA. Dr. JAI KUMAR BATRA, Returning Officer and Acting Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./223/2021-22]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2021

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. 54-ईएल(1)/5/2021.—चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (परिषद् का निर्वाचन) नियम, 2006 के नियम 10 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ने यह विनिश्चय किया है कि दिसंबर, 2021 में आयोजित किए जाने वाले उसकी पच्चीसवीं परिषद् के निर्वाचनों के संबंध में निर्वाचन का कोई अभ्यर्थी अपनी उम्मीदवारी के लिए, फाइल किए जाने वाले नामांकनों की संख्या पर ध्यान न देते हुए कुल 25,000/- रुपए (पच्चीस हजार रुपए) के शुल्क का संदाय करेगा।

उक्त फीस का संदाय, सचिव, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के पक्ष में और नई दिल्ली में संदेय एक मांगदेय ड्राफ्ट द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

सीए. डॉ. जय कुमार बत्रा, रिटर्निंग अधिकारी और कार्यकारी सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./223/2021-22]

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st September, 2021

(Chartered Accountants)

No. 54-EL(1)/5/2021.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 10 of the Chartered Accountants (Election to the Council) Rules, 2006, the Institute of Chartered Accountants of India has decided that in respect of election to its Twenty Fifth Council to be held in December, 2021, a candidate for election shall pay in all a fee of Rs. 25,000/- (Rupees Twenty Five Thousand only) for his candidature, irrespective of the number of nominations that may be filed.

The said fee is required to be paid by way of a demand draft drawn in favour of Secretary, the Institute of Chartered Accountants of India, payable at New Delhi.

CA. Dr. JAI KUMAR BATRA, Returning Officer and Acting Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./223/2021-22]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2021

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. 54-ईएल(1)/6/2021.—चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 134 के उपविनियम (10) के साथ पठित कथित विनियम के उप विनियम (7) और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (परिषद् का निर्वाचन) नियम, 2006 के नियम 10 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ने यह विनिश्चय किया है कि दिसंबर, 2021 में आयोजित किए जाने वाले उसकी चौबीसवीं प्रादेशिक परिषदों के निर्वाचनों के संबंध में निर्वाचन का कोई अभ्यर्थी अपनी उम्मीदवारी के लिए, फाइल किए जाने वाले नामांकनों की संख्या पर ध्यान न देते हुए कुल 12,500/- रुपए (बारह हजार पांच सौ रुपए) के शुल्क का संदाय करेगा।

उक्त शुल्क का संदाय, सचिव, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के पक्ष में और नई दिल्ली में संदेय एक मांगदेय ड्राफ्ट द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

सीए. डॉ. जय कुमार बत्रा, रिटर्निंग अधिकारी और कार्यकारी सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./223/2021-22]

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st September, 2021

(Chartered Accountants)

No. 54-EL(1)/6/2021.—In exercise of the powers conferred by sub-regulation (7) of regulation 134 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 read with sub-regulation (10) of the said regulation and rule 10 of the Chartered Accountants (Election to the Council) Rules, 2006, the Institute of Chartered Accountants of India has decided that in respect of election to its Twenty Fourth Regional Councils to be held in December, 2021, a candidate for election shall pay in all a fee of Rs. 12,500/- (Rupees Twelve Thousand Five Hundred only) for his candidature, irrespective of the number of nominations that may be filed.

The said fee is required to be paid by way of a demand draft drawn in favour of Secretary, the Institute of Chartered Accountants of India, payable at New Delhi.

CA. Dr. JAI KUMAR BATRA, Returning Officer and Acting Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./223/2021-22]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2021

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. 54-ईएल(1)/7/2021.—चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (परिषद् का निर्वाचन) नियम, 2006 के नियम 11 के उपनियम (1) के अनुसरण में, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान यह अधिसूचित करता है कि दिसंबर, 2021 में आयोजित किए जाने वाले उसकी पच्चीसवीं परिषद् के निर्वाचनों के संबंध में, कोई अभ्यर्थी, फाइल किए जाने वाले नामांकनों की संख्या पर ध्यान न देते हुए अपनी उम्मीदवारी के लिए प्रतिभूति निक्षेप के रूप में 20,000/- रुपए (बीस हजार रुपए) की रकम का संदाय करेगा । यदि वह संबद्ध प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में डाले गए ऐसे मूल मतों, जिसे उक्त नियमों के नियम 35 में परिभाषित किया गया है, के 2% (दो प्रतिशत) से अन्यून मत प्राप्त करने में असफल रहता है तो उसके द्वारा इस प्रकार संदत्त प्रतिभूति निक्षेप जब्त हो जाएगा ।

उक्त निक्षेप का संदाय, सचिव, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के पक्ष में और नई दिल्ली में संदेय एक मांगदेय ड्राफ्ट द्वारा किया जाना अपेक्षित है ।

सीए. डॉ. जय कुमार बत्रा, रिटर्निंग अधिकारी और कार्यकारी सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./223/2021-22]

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st September, 2021

(Chartered Accountants)

No. 54-EL(1)/7/2021.—In pursuance of sub-rule (1) of rule 11 of the Chartered Accountants (Election to the Council) Rules, 2006, the Institute of Chartered Accountants of India hereby notifies that in respect of election to its Twenty Fifth Council to be held in December, 2021, a candidate shall pay an amount of Rs.20,000/- (Rupees Twenty Thousand only) as security deposit, for his candidature, irrespective of the number of nominations that may be filed. The security deposit so paid shall be forfeited, if he fails to secure not less than 2% (two percent) of the original votes, as defined in rule 35 of the said Rules, polled in the concerned Regional Constituency.

The said deposit is required to be paid by way of a demand draft drawn in favour of Secretary, the Institute of Chartered Accountants of India, payable at New Delhi.

CA. Dr. JAI KUMAR BATRA, Returning Officer and Acting Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./223/2021-22]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2021

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. 54-ईएल(1)/8/2021.—चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 134 के उपविनियम (10) के साथ पठित उक्त विनियम के उपविनियम (7क) और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (परिषद् का निर्वाचन) नियम, 2006 के अनुसरण में, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान यह अधिसूचित करता है कि दिसंबर, 2021 में आयोजित किए जाने वाले उसकी चौबीसवीं प्रादेशिक परिषदों के निर्वाचनों के संबंध में, कोई अभ्यर्थी, फाइल किए जाने वाले नामांकनों की संख्या पर ध्यान न देते हुए अपनी उम्मीदवारी के लिए प्रतिभूति निक्षेप के रूप में 10,000/- रुपए (दस हजार रुपए) की रकम का संदाय करेगा । यदि वह संबद्ध प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में डाले गए ऐसे मूल मतों, जिसे उक्त नियमों के नियम 35 में परिभाषित किया गया है, के 1% (एक प्रतिशत) से अन्यून मत प्राप्त करने में असफल रहता है तो उसके द्वारा इस प्रकार संदत्त प्रतिभूति निक्षेप जब्त हो जाएगा ।

उक्त निक्षेप का संदाय, सचिव, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के पक्ष में और नई दिल्ली में संदेय एक मांगदेय ड्राफ्ट द्वारा किया जाना अपेक्षित है ।

सीए. डॉ. जय कुमार बत्रा, रिटर्निंग अधिकारी और कार्यकारी सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./223/2021-22]

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st September, 2021

(Chartered Accountants)

No. 54-EL(1)/8/2021.—In pursuance of sub-regulation (7A) of regulation 134 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 read with sub-regulation (10) of the said regulation and the Chartered Accountants (Election to the Council) Rules, 2006, the Institute of Chartered Accountants of India hereby notifies that in respect of election to the Twenty Fourth Regional Councils to be held in December, 2021, a candidate shall pay an amount of Rs.10,000/- (Rupees Ten Thousand only) as security deposit, for his candidature, irrespective of the number of nominations that may be filed. The security deposit so paid shall be forfeited if he fails to secure not less than 1% (One percent) of the original votes, as defined in rule 35 of the said Rules, polled in the concerned Regional Constituency.

The said deposit is required to be paid by way of a demand draft drawn in favour of Secretary, the Institute of Chartered Accountants of India, payable at New Delhi.

CA. Dr. JAI KUMAR BATRA, Returning Officer and Acting Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./223/2021-22]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2021

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. 54-ईएल(1)/9/2021.—चार्टर्ड अकाउंटेट्स (परिषद् का निर्वाचन) नियम, 2006 की अनुसूची 6 के साथ पठित उसके नियम 21 और 29 तथा चार्टर्ड अकाउंटेट्स विनियम, 1988 के विनियम 134 के उपविनियम (10) के अनुसरण में यह अधिसूचित किया जाता है कि 3 और 4 दिसंबर, 2021 के दिनों को आगरा, अहमदाबाद, बंगलुरु, भयंदर, भीलवाड़ा, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चिंचवाड़, चेन्नई, कोयंबटूर, दिल्ली/नई दिल्ली, डोंबिवली, फरीदाबाद, गाजियाबाद (इंदिरापुरम, साहिबाबाद और वैशाली सहित), गुरुग्राम, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर , जोधपुर, कल्याण, कानपुर, कोच्चि, कोलकाता, कोटा, लखनऊ, लुधियाना, मीरा रोड, मुंबई, नागपुर, नासिक, नवी मुंबई, नोएडा,

पटना, पुणे, रायपुर, राजकोट, रांची, सूरत, ठाणे, उदयपुर, वडोदरा, विजयवाड़ा और विशाखापटनम के लिए भारत के सनदी लेखाकार संस्थान की पच्चीसवीं परिषद् और चौबीसवीं प्रादेशिक परिषदों के निर्वाचनों के लिए मतदान की तारीखों के रूप में नियत किया गया है। अन्य सभी स्थानों पर मत डालने के लिए 4 दिसंबर 2021 की तारीख नियत की गई है।

सभी मतदान केंद्र संबंधित तारीख(तारीखों) पर प्रात: 08:00 बजे से रात्रि 08:00 बजे तक खुले रहेंगे।

सीए. डॉ. जय कुमार बत्रा, रिटर्निंग अधिकारी और कार्यकारी सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./223/2021-22]

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st September, 2021

(Chartered Accountants)

No. 54-EL(1)/9/2021.—In pursuance of rules 21 and 29 of the Chartered Accountants (Election to the Council) Rules, 2006 read with Schedule 6 thereof and sub-regulation (10) of regulation 134 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that 3rd and 4th December, 2021 have been appointed as the dates for the recording of votes for elections to the Twenty Fifth Council and Twenty Fourth Regional Councils of the Institute of Chartered Accountants of India for Agra, Ahmedabad, Bengaluru, Bhayandar, Bhilwara, Bhopal, Bhubaneswar, Chandigarh, Chinchwad, Chennai, Coimbatore, Delhi/New Delhi, Dombivali, Faridabad, Ghaziabad (including Indirapuram, Sahibabad and Vaishali), Gurugram, Guwahati, Hyderabad, Indore, Jaipur, Jodhpur, Kalyan, Kanpur, Kochi, Kolkata, Kota, Lucknow, Ludhiana, Mira Road, Mumbai, Nagpur, Nashik, Navi Mumbai, Noida, Patna, Pune, Raipur, Rajkot, Ranchi, Surat, Thane, Udaipur, Vadodara, Vijayawada and Visakhapatnam. At all other places, 4th December, 2021 has been appointed as the date for recording of votes.

All polling booths will remain open from 8.00 a.m. to 8.00 p.m. on the respective date(s).

CA. Dr. JAI KUMAR BATRA, Returning Officer and Acting Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./223/2021-22]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.09.01 22:12:51 +05'30'